

- 15। संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असावकीय उपचर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निर्भूति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार केमूवामुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

विशेष ध्यान देने योग्य बातें :- यदि किसी संस्था में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी संस्था में पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की वृद्ध या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
संयुक्त सचिव

पू0सं0एवं दिनांक तद्वै

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
 - 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मण्डलीय** ।
 - 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **मण्डलीय** ।
 - 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
 - 5- प्रबंधक, **मण्डलीय** ।
 - 6- गार्ड फाइल ।

(Signature)

आज्ञा के

संयुक्त शिक्षा निदेशक
संयुक्त सचिव

संयुक्त शिक्षा निदेशक
प्रथम मण्डल, म००० ।

